वस्त्र मंत्रालय के अधिकारियों के कार्य, अधिकार और कर्त्तव्य

मंत्रालय के प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- वस्त्र नीति और समन्वय
- मानव निर्मित फाइबर/फिलामेंट यार्न उद्योग
- सूती वस्त्र उद्योग
- पटसन उद्योग
- रेशम और रेशम वस्त्र उद्योग
- ऊन और ऊन उद्योग
- विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र
- निर्यात संवर्धन
- आयोजना और आर्थिक विश्लेषण
- एकीकृत वित्त मामले
- सूचना प्रौद्योगिकी

कार्य आबंटन

अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्त्तव्य

यह मंत्रालय भारत सरकार (कार्य का संचालन) नियमावली में यथापरिभाषित अधिकारों, उत्तरदायित्वों और दायित्वों के अनुसार उसे आबंटित कार्य का निपटान करता है। इस मंत्रालय को आबंटित कार्य के संबंध में नीतियों का प्रतिपादन, कार्यान्वयन और पुनरीक्षा वस्त्र मंत्री के निर्देशों के तहत की जानी है।

2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां संबंधित नोडल विभागों द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न सरकारी नियमों, अनुदेशों, कार्यकारी आदेशों से प्राप्त की जाती है। इस मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों जैसे कि कार्मिक विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य नोडल विभागों द्वारा उन्हें यथा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हैं और कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इन नियमों/मैनुअलों की एक संकेतात्मक सूची संलग्न है। नोडल मंत्रालय/विभाग मूलत: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय आदि इन नियमों/मैनुअलों के अभिरक्षक है। ये नियम/मैनुअल/अनुदेश इन नोडल मंत्रालयों/विभागों के सीधे नियंत्रण में हैं और इन विभागों के इन नियमों में समय-समय पर संशोधन भी किए जाते हैं। इस नियम में विभिन्न मामलों पर दैनान्दिन कार्रवाई/डीलिंग में वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज के संबंध में निदेश दिया जाता है, जबकि किसी विशेष मामले पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकार/शक्ति उक्त नियमों/मैनुअल से प्राप्त होती है। सचिवालयी कार्य के निष्पादन की प्रक्रिया कार्यालय मैनुअल

(एमओपी) और कार्यालय टिप्पण प्रक्रिया (एनओपी) में निर्धारित की गई है जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी और नियंत्रित किए जाते हैं। वस्त्र मंत्रालय सहित सभी सरकारी विभाग एमओपी में यथानिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कडाई से इन प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हैं। एमओपी में संशोधन भी समय-समय पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किए जाते हैं।

3. मंत्रालय में किसी वित्तीय प्रस्ताव के निपटान के लिए वित्तीय शक्तियां वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली से प्राप्त की जाती हैं जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तथापि निर्णयों में शीघ्रता लाने और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, मंत्रालय में निहित वित्तीय शक्तियां डीएफपीआर में यथापरिकल्पित संगठनों के प्रमुख को भी प्रत्यायोजित की गई हैं।